भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

30.11.2016 **को लोक सभा में**

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2374

यूरेनियम की उपलब्धता

2374. **श्री बी. श्रीरामुलु:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या सरकार को कर्नाटक में यूरेनियम तथा अन्य परमाणु संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी है;**

(ख) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूरेनियम संसाधनों का किस तरीके से नियंत्रित/दोहन किया जा रहा है ताकि ये निजी हाथों तक न पहुंचे;**

(ग) **क्या सरकार को यूरेनियम तथा अन्य परमाणु संसाधनों को अवैध तरीके से राज्य से बाहर ले जाने की जानकारी है; और**

(घ) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) **जी, हॉ ।**

(ख) **परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (पखनि) परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है और इसका अधिदेश देश में यूरेनियम, थोरियम, नियोबियम, टेंटलम, बेरिलियम, लीथियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम और यूरेनियम एवं थोरियम वाली विरल मृदा की पहचान करना एवं उसका मूल्यांकन करना है। पखनि ने अभी तक कर्नाटक में निम्नानुसार 4,682 टन (ट) *स्वस्थाने* U_3O_8 (3,970 टन U) का पता लगाया है :**

जिला	भंडार का नाम	टन U_3O_8	टन U
यादगीर	गोगी	4,267	3,618
दक्षिण कन्नड़ा	वालकुंजी-येल्लक्की	415	352
कुल		4,682	3,970

[1 टन U_3O_8 = 0.848 टन यूरेनियम धातु (U)]

-2/..

इसके साथ-साथ, मार्लागल्ला, मांड्या जिला, कर्नाटक से 3.759 टन कोलंबाइट-टेंटेलाइट (नियोबियम एवं टेंटेलम खनिज), 7.15 टन बेरिल (बेरेलियम खनिज) एवं 65.61 टन स्पोडूमीमी (लीथियम खनिज) भी प्राप्त किया गया।

पखनि द्वारा स्थापित किए गए यूरेनियम भंडारों का खनन, परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के सार्वजनिक क्षेत्र के एक एकक, यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) द्वारा किया जाता है। गोगी, जिला यादगीर, कर्नाटक में खनन का कार्य अभी अन्वेषणात्मक खनन चरण में है।

परमाणु खनिजों की सामरिक प्रकृति और खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) [एमएमडीआर] अधिनियम, 1957 में जनवरी 2015 में हुए संशोधन को देखते हुए खान मंत्रालय ने परमाणु खनिज रियायत नियमावली (एएमसीआर), 2016 को अधिसूचित किया है, जिसमें, सरकारी एजेंसियों द्वारा अन्वेषण एवं संरक्षण हेतु कुछ सीमा के बराबर या उससे अधिक मात्रा वाले 'परमाणु खनिज' (एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख के अंतर्गत परिभाषित) वाले क्षेत्रों को आरक्षित करने की शर्त रखी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता ।

****